

# आरआरकेट कर्मचारी सहकारी साख संस्था (मर्यादित), इन्दौर

रजि.नं. AR/IDR/1172 Dt. 04.05.1993

दिनांक : 14-सितम्बर-2020

## \*\* सूचना \*\*

दिनांक 11 सितम्बर 2020 को संपन्न संस्था की कार्यकारिणी सभा में लिए गए निर्णयानुसार निम्न लिखित परिवर्तनों को 15 सितम्बर 2020 से लागू किया जाएगा :

वर्तमान	प्रस्तावित
1 ऋण की पात्रता साधारण ऋण : प्रतिवर्ष रु. 30,000/- अथवा अधिकतम सीमा रु.3,00,000/- जो भी कम हो। बाकी नियम एवं शर्तें पूर्ववत जैसी रहेगी।	ऋण की पात्रता साधारण ऋण : प्रतिवर्ष रु.50,000/- अथवा अधिकतम सीमा रु. 3,00,000/- जो भी कम हो। बाकी नियम एवं शर्तें पूर्ववत जैसी रहेगी।
2 ऋण की पात्रता विशेष ऋण सीमा : रु. 8,00,000/- विशेष ऋण : प्रतिवर्ष रु. 80,000/- अथवा मूल वेतन का 20 गुना जो भी कम हो। बाकी नियम एवं शर्तें पूर्ववत जैसी रहेगी।	ऋण की पात्रता विशेष ऋण सीमा : रु 10,00,000/- 1. 6 साल की सदस्यता पूर्ण होने तक, रु.1,00,000 /- प्रति वर्ष। 2. 6 साल की सदस्यता पूर्ण होने के बाद - मूल वेतन का 26 गुना अथवा रु. 10,00,000/- जो भी कम हो। बाकी नियम एवं शर्तें पूर्ववत जैसी रहेगी।
3 ऋण की पात्रता उपभोक्ता ऋण सीमा : रु. 6,00,000/- ब्याज की दर: 11.5% बाकी नियम एवं शर्तें पूर्ववत जैसी रहेगी।	ऋण की पात्रता उपभोक्ता ऋण सीमा : रु. 6,00,000/- ब्याज की दर: 11.0% बाकी नियम एवं शर्तें पूर्ववत जैसी रहेगी।
<b>जरूरी सूचना:</b> अधिकतम कुल ऋण राशि इस बात पर निर्भर करती है कि मासिक ऋण की किश्त के भुगतान के पश्चात ऋण लेनेवाले सदस्य का शुद्ध वेतन न्यूनतम रु. 2000.00 होना चाहिए।	
4 सावधि जमा (FD) पर ब्याज की दर : 7.00% 1 वर्ष से 5 वर्ष तक परिपक्वता से पूर्व: 5.75% बाकी नियम एवं शर्तें पूर्ववत जैसी रहेगी।	सावधि जमा (FD) पर ब्याज की दर : 6.50% 1 वर्ष से 5 वर्ष तक परिपक्वता से पूर्व: 5.5% बाकी नियम एवं शर्तें पूर्ववत जैसी रहेगी।



*(श्रायनर)*  
श्रायनर पेनुमाला  
अध्यक्ष

प्रबंध सचिव के लिए तथा उनकी ओर से

कृपया ध्यान दे:

1. सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्था कार्यालय में दिए गए अपने पते, हस्ताक्षर तथा उत्तराधिकारी को सत्यापित करें और पूर्ण रूप से भरा हुआ के.वाय.सी फार्म जमा करें।
2. सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे ऋण-राशी की सही जानकारी प्राप्त कर ही जमानत दें।
3. किसी भी ऋण के किस्तों की अधिकतम संख्या, ऋण लेनेवाले या जमानतदारों की सेवा निवृत्ति की शेष अवधि पर निर्भर रहेगी।
4. यदि कोई सदस्य, आवर्ती जमा योजना की प्रथम किश्त की राशि नकद अथवा चेक से देना चाहता है तो, माह के केवल पांचवां तिथि तक ही स्वीकार किया जाएगा, इसके बाद की किश्तें संस्था के बैंक खाते में जमा करने से ही स्वीकार की जाएगी।